PRIMARY TEACHERS EDUCATION COLLEGE

Gurwa, P. O.- Sitagarha, Dist. - Hazaribag - 825 303, Jharkhand, INDIA
(A Jesuit Christian Minority Institution)

Recognized by ERC, NCTE vide order No. BR-E/E- 2/96/2799(12) dt 11.02.1997

College Prospectus

Phone No. 06546-222455
Mobile: 8987903798 (O), 9835358073 (P)
Email: ptecgurwa1997@rediffmail.com
Website : www.ptecgurwa.org

New College Building under Construction

परिचय :–

यह प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, हजारीबाग येसु समाज के द्वारा सन् 1958 ई0 में ईसाई अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। संत इग्नासियुस लोयोला द्वारा सन् 1540 ई0 में येसु समाज की स्थापना हुई। तब से यह धर्म समाज शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में विश्व विख्यात है। हजारीबाग जेसुइट एजुकेशनल सोसाइटी इसी महान कार्य का एक सिलसिला है। यह महाविद्यालय इसकी एक इकाई है। यह महाविद्यालय झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा सम्बद्धता और National Council for Teacher Education द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है।

महाविद्यालय का उद्देश्य :–

यह महाविद्यालय राज्य के काथलिक, ईसाई लड़के–लड़कियों एवं अन्य जाति एवं धर्म के छात्रों तथा छात्राओं को धार्मिक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें सर्वगुण सम्पन्न शिक्षक–शिक्षिका बनाने का उद्देश्य रखता है। यहाँ इस तरह शिक्षा दी जाती है कि प्रशिक्षित शिक्षक–शिक्षिकाएँ मानवीय गुणों से सुसज्जित अपने सदाचरणों द्वारा, विवेक और सुबुद्धि का प्रयोग कर समर्पित भाव से अपने ग्रामीण भाई–बहनों का सही नेतृत्व कर उन्हें विकासोन्मुख बनाने में सफल होंगे। इस तरह वे महाविद्यालय के आदर्श वाक्य 'पर हिताय नरः नारी' को चरितार्थ कर पाएंगे।

महाविद्यालय क्रिया–कलाप एवं सुविधाएँ :–

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महाविद्यालय प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रोजेक्टरयुक्त कक्षाएँ, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान–गणित प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाइ–फाईयुक्त कैम्पस तथा खेल के मैदान उपलब्ध हैं। महाविद्यालय अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। जैसेः– सद्गुणों के विकास एवं दुर्गुणों के निराकरण के लिए आध्यात्मिक साधना, सेमिनार, ज्ञान–विज्ञान के लिए शैक्षणिक भ्रमण, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कार्यशाला एवं खेल–कूद, दक्षता बढ़ाने के लिए चित्रकला, संगीत, नाटक, बागवानी एवं कृषि इत्यादि। चरित्र निर्माण के लिए सामुदायिक जीवन और क्रिया–कलापों एवं वर्ग में उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब तक यहाँ का प्रशिक्षण पूर्णरूपेण आवासीय था, पर सत्र 2018 से बदलते परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय आवेदकों के लिए छात्रावास को ऐच्छिक कर दिया गया है। अस्थानीय आवेदकों के लिए छात्रावास अनिवार्य है।

महाविद्यालय पाठ्यक्रम :– (NCTE द्वारा निर्धारित)

1. नवोदित भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा 2. शिक्षा मनोविज्ञान 3. विद्यालय संगठन, निर्देशन एवं परामर्श 4. शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन 5. हिन्दी 6. अंग्रेजी 7. वैकल्पिक भाषाएँ 8. गणित 9. समाज अध्ययन 10. विज्ञान 11. शिक्षण अभ्यास 12. कम्प्यूटर 13. कार्यानुभव एवं शारीरिक शिक्षा 14. सामुदायिक जीवन।

महाविद्यालय नामांकन प्रक्रिया एवं चयन :–

1. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता** :– मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से मैट्रिक एवं इन्टरमीडिएट या +2 की परीक्षा में कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण हों। इसमें ST/SC/BC/OBC के लिए 5 प्रतिशत छूट है।

नोट :– आवेदन वर्ष की वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों का भी आवेदन पत्र नामांकन के लिए स्वीकार किया जायेगा।

2. **आयु सीमा** :– आयु आवेदन वर्ष के 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम न हो।
3. **वैवाहिक स्थिति** :– पुरूष और महिला दोनों अविवाहित होनी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि में विवाह एवं मंगनी करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने से प्रशिक्षणार्थी को महाविद्यालय तथा छात्रावास से बिना नोटिस दिये निष्कासित किया जाता है।
4. **नामांकन** के लिए चयन प्रमाणित मेधा, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है।
5. **आवासीय** :– जो झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी है। या जिनके माता–पिता झारखण्ड राज्य स्थित राज्य सेवा या भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों/संस्थानों के कर्मचारी हों या सेवानिवृत्त हो चुके हों। या जिनके माता–पिता की झारखण्ड राज्य में 5 वर्षों से अचल सम्पत्ति हो। या जो झारखण्ड राज्य के किसी शिक्षण संस्थान से कम से कम 7 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त किये हों अथवा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा झारखण्ड राज्य से उत्तीर्ण हो।

महाविद्यालय व छात्रावास सम्बन्धी नियम एवं सूचनाएँ :–

1. यह एक ईसाई अल्पसंख्यक घोषित संस्था है अतः यहाँ के सभी कार्यक्रम ईसाई धर्म के अनुरूप ही होते हैं।
2. सभी नामांकित विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों के अनुसार नियमित रूप से दैनिक कक्षाओं में उपस्थित एवं अन्य सभी कार्यक्रमों में भाग लेना है।
3. बोर्ड परीक्षा में उत्प्रेषित होने के लिए NCTE द्वारा निर्धारित प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
4. महाविद्यालय/छात्रावास से अनुपस्थित रहने के लिए अग्रिम अनुमति प्राचार्य/होस्टल अधीक्षक से लेना है। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर दण्ड देना पड़ता है।
5. विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिसर में (College Campus), कक्षा अवधि (Class hours) एवं स्वाध्याय अवधि (Study hours) में मोबाइल फोन का प्रयोग मना है। ऐसा करने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाता है और महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के साथ ही दिया जाता है।
6. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को कोई भी अन्य परीक्षा लिखने की

अनुमति नहीं मिलती है।

7. सफल आवेदकों को महाविद्यालय यूनिफॉर्म एवं कॉपियों का सेट महाविद्यालय से ही उपलब्ध होते हैं। कॉपी और यूनिफॉर्म (college uniform-2 Sets, games uniform-1 Set & a blazer) की राशि बिल के आधार पर लिया जाता है और शेष राशि वापस कर दिया जाता है।
8. सामुदायिक जीवन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक अंग है। अतः प्रशिक्षणार्थियों को महाविद्यालय के सभी सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य है।
9. महाविद्यालय में केवल चार मुख्य छुटिट्याँ हैं– 1. गर्मी 2. दुर्गा पूजा 3. ख्रीस्त जयन्ती 4. पास्का पर्व। अन्य समय बिना अनुमति घर जाना सख्त मना है। बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर जुर्माना/दण्ड देना पड़ता है।
10. सत्र के बीच में अपनी इच्छा से या अनुशासनहीनता के कारण प्रशिक्षण छोड़ने पर, नामांकन के समय देय अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) राशि और दो वर्ष का शिक्षण शुल्क एवं छात्रावास सीट शुल्क भी प्रशिक्षणार्थी को भरना पड़ता है। महाविद्यालय में जमा मूल प्रमाण पत्र प्रशिक्षणार्थी को सभी राशि देने के पश्चात् ही निर्गत किये जाते हैं।
11. नामांकित प्रशिक्षणार्थी यदि महाविद्यालय अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या किसी बाह्य ग्रुप/अन्य मित्रों के साथ मिलकर महाविद्यालय के विरूद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो उन पर अनुशासनिक कारवाई की जाती है। गंभीर परिस्थिति में उन्हें महाविद्यालय से उचित सूचना एवं चेतावनी देकर निष्कासित भी किया जा सकता है।
12. प्रशिक्षण काल में महाविद्यालय/छात्रावास के अहाते में एवं अहाते के बाहर धुम्रपान तथा नशापान करना सख्त मना है। तथा महाविद्यालय/छात्रावास के अहाते में नशापान करके आना भी दंडनीय अपराध माना जाता है। पहली बार ऐसा करने पर रु0 10,000/– जुर्माना के तौर पर लिया जाता है और व्यक्ति की मदद के लिए मनोविज्ञान चिकित्सक के पास छः कॉन्सिलिंग के लिए भेजा जाता है। इस गलती को दुबारा दुहराने से महाविद्यालय एवं छात्रावास से निष्कासित भी किया जाता है।
13. महाविद्यालय/छात्रावास में रैगिंग करना/भाग लेना शैक्षणिक नियम एवं मौलिकता/मानवीयता के विरूद्ध व्यवहार माना जाता है तथा दोषी पर अनुशासनिक कारवाई की जाती है। गंभीर आवस्था में उचित सूचना देकर महाविद्यालय और छात्रावास दोनों से निष्कासित भी किया जा सकता है।
14. महाविद्यालय/छात्रावास में सीनियर व जूनीयर का भेद/मदभेद पैदा करना या लड़ाई व झगड़ा का वातावरण उत्पन्न करना अथवा लड़ाई में शामिल होना अनुशासनिक तौर से महाविद्यालय के मूल्य एवं प्रतिष्ठा के खिलाफ व्यवहार माना जाता है।
15. महाविद्यालय/छात्रावास में जाति, धर्म एवं संस्कृति के नाम पर भेदभाव तथा ऊँच–नीच का कोई भी अभद्र व्यवहार एक दंडनीय अपराध माना जाता है।
16. नामांकन के समय सभी चयनित प्रशिक्षणार्थियों को महाविद्यालय रैगिंग विरोधी कानून संबन्ध में एक affidavit नोटिरी के द्वारा प्रमाणित किया हुआ जमा करना है। (affidavit का नमूना महाविद्यालय कार्यालय से उपलब्ध होता है।)
17. यह एक सह–शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है। लेकिन दोनों ग्रुप के लिए अलग–अलग छात्रावास की व्यवस्था और सुविधाएँ उपलब्ध हैं। लेकिन पाठ्यक्रम में निर्धारित मुख्य उद्योगों को संस्था में एक साथ किया जाता है।
18. अस्थानीय सफल आवेदकों के लिए छात्रावास अनिवार्य है, पर स्थानीय (जिनका पैतृक घर या धर्म समाजी आवास महाविद्यालय से 8 किलोमीटर की त्रिज्या के अन्तर्गत आता है) आवेदकों के लिए छात्रावास में रहना ऐच्छिक है।
19. स्थानीय सफल आवेदक जो छात्रावास में रहते हैं, उन्हें प्रशिक्षणकाल के अन्त तक छात्रावास में ही रहना होता है। अतः बीच में किसी भी प्रशिक्षाणार्थी को छात्रावास छोड़ने की अनुमति नहीं है।
20. प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर गम्भीरता के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को महाविद्यालय एवं छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।
21. कल्याण विभाग से सरकारी नियमानुसार छात्रवृत्ति पाने का प्रावधान है। ऑनलाइन निर्गत जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र ही छात्रवृत्ति के लिए मान्य है। अतः सभी सफल आवेदक इन्हें अपने साथ लाना न भूलें।

महाविद्यालय शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क संबंधी सूचनाएँ :–

- प्रशिक्षणार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क तिमाही (Quarterly) रूप में निर्धारित राशि नियमित जमा करें। (यथा : जुलाई/अक्टूबर/जनवरी/अप्रैल माह में।
- समय पर शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क जमा नहीं करने पर दण्ड स्वरूप प्रति माह (Each Month) रू0 100/– (एक सौ रूपये) लिया जाता है।
- महंगाई को देखते हुए महाविद्यालय प्रबन्धन हर वर्ष शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क की वृद्धि कर सकती है।
- प्रथम वर्ष का सभी शुल्क प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष का शुल्क द्वितीय वर्ष में पूरा करना अनिवार्य है।
- प्रशिक्षणार्थी को वार्षिक शैक्षणिक पर्यटन के लिए निर्धारित राशि उपर्युक्त समय पर जमा करना होता है। वार्षिक शैक्षणिक पर्यटन जगह एवं राशि के विषय में प्रशिक्षणार्थियों को पूर्व सूचना

महाविद्यालय द्वारा दी जाती है।

- महाविद्यालय एवं छात्रावास शुल्क नकद, चेक या ऑनलाइन नेट बैंकिंग द्वारा जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन जमा करने के लिए STATE BANK COLLECT: PRIMARY TEACHERS EDUCATION COLLEGE or BHIM UPI Ph. 9934154337 (PTEC2) का उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग करते समय विद्यार्थी का नाम स्पष्ट रूप से देना जरूरी है। मोबाइल नम्बर 9934694368 पर एस.एम.एस. या फोन करके अथवा ई.मेल ptecfees@gmail.com पर इसकी जानकारी प्रशिक्षणार्थी दें, ताकि रसीद दी जा सके।
- महाविद्यालय से संबंधित सभी शुल्क कॉलेज अकाउन्ट ऑफिस में ही जमा होते हैं।

महाविद्यालय बैंक विवरण :–

PRIMARY TEACHERS EDUCATION COLLEGE GURWA
State Bank of India, Chano Branch Code 17127
A/c No. 34405702918, IFSC: SBIN0017127

अन्य विशेष ध्यान देने योग्य बातें :–

1. आवेदन पत्र की संख्या सीमित होती है। निश्चित संख्या खत्म होने पर आवेदन पत्र का वितरण बंद कर दिया जाता है। इसकी सूचना महाविद्यालय नोटिस बॉर्ड और वेबसाइट पर दी जाती है।
2. महाविद्यालय तथा छात्रावास के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र भरकर जमा करना है।
3. आवेदन पत्र में विवरण (नाम, माता–पिता का नाम, जन्म तिथि) मैट्रिक अंक पत्र के आधार पर भरें।
4. अध्ययनरत उम्मीदवार निर्धारित कॉलम में अध्ययनरत होने का जिक्र करें।
5. CGPA वाले उम्मीदवार अपने संस्थान से सभी विषयों का पूर्णांक, प्राप्तांक एवं प्रतिशत लिखवाकर संलग्न करें।
6. शैक्षणिक योग्यता संबंधी सभी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र में संलग्न करना आवश्यक है।
7. आवेदन पत्र के तीन पृष्ठ होते हैं। प्रथम दो पृष्ठ आवेदन पत्र है जिसमें सम्पूर्ण सूचनाएँ भरनी है। तीसरा पृष्ठ प्रवेश पत्र है, जिसमें दो खण्ड हैं। दोनों खण्डों को अच्छी तरह भरकर फोटो साटें। प्रवेश पत्र को प्रवेश परीक्षा के लिए एवं अन्य पहचान के लिए महाविद्यालय साथ लाना अनिवार्य होता है।
8. बिना प्रवेश पत्र के आवेदकों को प्रवेश परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता है।
9. प्रवेश परीक्षा हेतु अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाती है।
10. प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार के समय महाविद्यालय में ठहरने एवं भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए आवेदक स्वयं व्यवस्था करें।
11. आवेदन पत्र में कम से कम दो मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य है। यदि आपका मोबाईल नम्बर न हो तो ऐसे व्यक्तियों के नम्बरों को लिखें जिनसे आसानी से सम्पर्क किया जा सके और वह आपको सूचना दे सके।
12. नामांकन या सत्यापन के समय प्रमाण पत्र जाली पाए जाने पर चयन एवं नामांकन रद्द किया जाता है।
13. अपूर्ण या गलत जानकारी युक्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है और उन्हें मेरिट–लिस्ट तैयार करने के लिए शामिल नहीं किया जाता है।
14. महाविद्यालय से केवल चयनित आवेदकों को ही चयन संबंधी सूचना दी जाती है।
15. साक्षात्कर एवं नामांकन के समय चयनित आवेदक के साथ अभिभावक का होना अनिवार्य है।
16. समय पर नामांकन नहीं कराने पर चयन रद्द समझा जाता है और मेरिट लिस्ट के अगले उम्मीदवार को नामांकन के लिए बुलाया जाता है।
17. आवेदन पत्र के साथ "आधार कार्ड" की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।
18. नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं छायाप्रतियाँ लाना अनिवार्य है।
19. महाविद्यालय/स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र (CLC) के बिना नामांकन नहीं होता है। यदि आवेदक BA/MA कर रहे हों, तो उन्हें कोर्स छोड़कर CLC लाना अनिवार्य होता है। नामांकन के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों एवं छायाप्रतियों को एक कभर फाईल में रखकर ऑफिस में जमा करना है। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ अपने पास भी रखनी है। अतः नामांकन के लिए आने के पहले ही सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ अपने लिए बनवा लें।
20. महाविद्यालय में नामांकन संबंधी अन्य सभी निर्देश चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के बाद दिया जाता है।
21. द्वितीय वर्ष में प्रोन्नाति के लिए प्रशिक्षणर्थियों को प्रथम वर्ष के अन्त में ली जाने वाली परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
22. निम्नलिखित कारणों से आवेदक का महाविद्यालय में आवेदन अस्वीकार या चयन नहीं किया जा सकता है :–
    - आवेदन अपूर्ण या गलत जानकारी युक्त होना ।
    - अस्थानीय आवेदक के द्वारा छात्रावास के लिए आवेदन नहीं जमा करना ।
    - शैक्षणिक योग्यता अथवा निर्धारित आयु पूरा नहीं होना।
    - प्रवेश परीक्षा में कम प्रतिशत प्राप्तांक होना, इत्यादि।
23. प्रशिक्षणार्थी इस प्रॉस्पेक्टस (विवरणिका) को सुरक्षित रखें एवं प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग करें।

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, गुड़वा, सीतागढ़ तक पहुँचने का निर्देश :–

संत कोलम्बस कॉलेज मोड़, हरनगंज, से चूरचू रोड होकर लालपुर चौक पहुँचें और वहाँ से दायीं ओर PCC सड़क से होते हुए आगे बढ़ें। तेली टोला चौक में दायीं ओर के रास्ते से लगभग 400 मीटर की दूरी आगे बढ़ें, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पी.टी.ई.सी.), गुड़वा, सीतागढ़ रोड के बायीं ओर स्थित है।